

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:- प.3(54) नविवि/III/2011

जयपुर, दिनांक : 20 DEC 2012

जिला कलक्टर,
समस्त (राजस्थान)।

विषय:- नगर, सुधार न्यास/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्रों में स्थित सिवायचक भूमियों को न्यास/प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों के नाम हस्तान्तरित करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.09.2012 एवं 17.10.2012

महोदय,

संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2012 से मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि नगरीयकरण सीमा में स्थित राजकीय भूमियों को दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 तक संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित कर राजस्व अभिलेख में इनका अंकन कराना सुनिश्चित किया जावे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि नगरीय क्षेत्र में स्थित कस्टोडियन भूमियों को भी तत्काल नगर निकायों को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की जावे ताकि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन भूमियों पर विकसित हुई आबादी के पट्टे जारी किया जाना सम्भव हो सके।


इसी क्रम में संदर्भित पत्र दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या 21 के द्वारा नगर निकायों के परिधीय क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आबादी विस्तार व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों को पट्टे दिये जाने के अधिकार बाबत निम्नांकित निर्देश दिये गये थे :-

- (i) न्यास/प्राधिकरण व नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा की राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवाय चक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता दी जाती है।
- (ii) उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गयी सीमा के भीतर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा सकेगा। नगरीय निकायों को ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित की गयी भूमि पर आवंटन का अधिकार नहीं होगा।

दिनांक 17.10.2012 के उक्त निर्देशों के अनुसार नगरीय निकायों के परिधीय क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गई सीमा के भीतर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने के लिए सिवायचक भूमि जिला कलक्टरों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जानी है। यदि इस विषय में कार्यवाही शेष है तो उसे अविलम्ब पूर्ण की जावे ताकि इस अभियान के दौरान इन पंचायत क्षेत्रों में भी पट्टा वितरण की कार्यवाही में गति आ सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 17.10.12 के विभागीय निर्देशों के अन्तर्गत नगरीयकरण सीमा या नगरीय निकायों के परिधीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में स्थित शेष सिवायचक भूमि नगर विकास न्यास/नगर पालिका संस्था को सार्वजनिक उपयोग/सुविधाओं के लिए अविलम्ब स्थानान्तरित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. शासन उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त समस्त नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिका मण्डलों, राजस्थान को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।
10. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका मण्डल(समस्त) राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।


(आरुणकुमार पारीक)

उप शासन सचिव-द्वितीय